**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **38 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Rahul Ranka Add: B-15, SAngam Tower, Old RTO Road, Gandhi Nagar, Bhilwara

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

# निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329045203148058 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7133850242 दिनांक 11.03.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 38 / 25 / 269–70 दिनांक 17.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्चुअल सुनवाई (ऑनलाईन माध्यम से) का विकल्प उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा ने जरिये पत्राक भू.अ. / सू.अ.अ. / 2005 / प्र.अ.सं. / 38 / 25 / 447 दिनांक 09.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी से संबंधित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 434 दिनांक 08.04.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 434 दिनांक 08.04.2025 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**